# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

**राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 101 / 2017 / बाड़मेर**

| अपीलांट | | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|---|
| 1. मानाराम पुत्र हरजी | बनाम | 1.भैरूलाल पुत्र श्री जोगाराम |
| 2. पारस पुत्र हरजी | | 2.चेतनराम पुत्र जोगाराम |
| 3. पांचा पुत्र हरजी | | 3.सवाईराम पुत्र जोगाराम |
| 4. मूला पुत्र हरजी | | 4.स्वरूपाराम पुत्र जोगाराम रेस्पोडेंट संख्या 03 व 04 नाबालिग जरीये कुदरती वली रेस्पोडेंट संख्या 01 भैरूलाल |
| 5. प्यादी बेवा हरजी जतियान भील निवासीयान कुड़ी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। | | 5.चम्पा पुत्र पूनमा |
| | | 6.रामचन्द्र पुत्र देवाराम |
| | | 7.छगनाराम पुत्र पुनमाराम जातियान भील निवासीयान कुड़ी तहसील पचपदरा। |
| | | 8.राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा। |

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व विविध संख्या 153 / 2014 बअनवान भैरूलाल वगैरह बनाम चम्पा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 के विरूद्ध पेश हुई।**

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

## निर्णय

दिनांकः— 30.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा कुड़ी में खसरा संख्या 87 रकबा 71.10 बीघा प्रार्थीगण / रेस्पोडेंट एवं विप्रार्थीगण / अपीलकर्ता के संयुक्त खातेदारी की अवस्थित रही है, किन्तु मौजा भांडियावास के वर्तमान खसरा संख्या 1047 / 452, 1048 / 452 व 1183 / 452 एवं 1066 / 473 कभी भी पूनमाजी के खातेदारी की नहीं रही और न उक्त भूमियां पैतृक ही रही है। भूमि खसरा संख्या 452, खसरा संख्या 452 / 2, 452 / 3 कुल रकबा 18.12 बीघा थी, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1047 / 452, 1048 / 452 व 1183 / 452 कुल रकबा 16.12 बीघा अपीलकर्ता के हक पूर्वाधिकारी हरजी की स्व–अर्जित सम्पति रही है। चूँकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अपीलकर्ता के हक पूर्वाधिकारी हरजी का रहा, इसलिए राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमियों को अपीलकर्ता के हक पूर्वाधिकारी के हक में आवंटित किया गया। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंटगण का कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा। वक्त आवंटन अपीलकर्ता के हक पूर्वाधिकारी हरिया नाबालिग नहीं था, वक्त आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

हरिया की आयु 23–24 वर्ष से अधिक थी, उक्त भूमि पर रेस्पोडेंटान के पिता का कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा। क्योंकि रेस्पोडेंट के पिता जोगाराम राजकीय सेवा में था। यदि आवंटन को पूनमाराम अपने जीवनकाल में एवं जोगाराम अपने जीवनकाल में अवश्य ही प्रश्नगत करवाते और इतने वर्षों की लम्बी अवधि तक चुपचाप बैठे नहीं रहते। विगत 42 वर्षों से एक मात्र कब्जा काश्त अपीलकर्ता के हक पूर्वाधिकारी हरिया का कायम रहा, हरिया की फौतगी के पश्चात हम अपीलकर्ता का बतौर खातेदार टीनेन्ट कायम है। अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 452 व 452/2, 452/3 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1047/452,1048/452 व 1183/452 कुल रकबा 16.12 बीघा में रेस्पोडेंट के कोई हक हित या अधिकार न तो कभी रहे और न है, और न हो ही सकते है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी कर रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया रेस्पोडेंटगण बावजूद सूचना सम्यक तामिल अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मौजा भांडियावास के वर्तमान खसरा संख्या 1047/452, 1048/452 व 1183/452 एवं 1066/473 कभी भी पूनमाजी के खातेदारी की नहीं रही और न उक्त भूमियां पैतृक ही रही है। भूमि खसरा संख्या 452, खसरा संख्या 452/2, 452/3 कुल रकबा 18.12 बीघा थी, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1047/452, 1048/452 व 1183/452 कुल रकबा 16.12 बीघा अपीलकर्ता के हक पूर्वाधिकारी हरजी की स्व–अर्जित सम्पति रही है। चूंकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अपीलकर्ता के हक पूर्वाधिकारी हरजी का रहा, इसलिए राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमियों को अपीलकर्ता के हक पूर्वाधिकारी के हक में आवंटित किया गया। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंटगण का कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा। वक्त आवंटन अपीलकर्ता के हक पूर्वाधिकारी हरिया नाबालिग नहीं था, वक्त आवंटन हरिया की आयु 23–24 वर्ष से अधिक थी, उक्त भूमि पर रेस्पोडेंटान के पिता का कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा। क्योंकि रेस्पोडेंट के पिता जोगाराम राजकीय सेवा में था। यदि आवंटन को पूनमाराम अपने जीवनकाल में एवं जोगाराम अपने जीवनकाल में अवश्य ही प्रश्नगत करवाते और इतने वर्षों की लम्बी अवधि तक चुपचाप बैठे नहीं रहते। विगत 42 वर्षों से एक मात्र कब्जा काश्त अपीलकर्ता के हक पूर्वाधिकारी हरिया का कायम रहा, हरिया की फौतगी के पश्चात हम अपीलकर्ता का बतौर खातेदार टीनेन्ट कायम है। पंजीकृत बेचाननामे की वैधता एवं विधि मूल्यता को देखने, परखने या जांचने का कोई क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

को प्राप्त नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि पंजीकृत दस्तावेज जब तक सक्षम न्यायालय में प्रश्नगत कर शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता है, तब तक वैध वएं प्रभावी दस्तावेज होता है। रेस्पोडेंटान ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि कभी भी रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण पूनमाराम के खातेदारी में रही है। अपीलकर्ता व रेस्पोडेंटगण अनुसूचित जनजाति यानि भील जाति के सदस्य है, अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू विधि के प्रावधान लागू नहीं होते है। जिससे भी वाद पत्र वादी रिजेक्ट किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 452 व 452/2, 452/3 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1047/452,1048/452 व 1183/452 कुल रकबा 16.12 बीघा में रेस्पोडेंट के कोई हक हित या अधिकार न तो कभी रहे और न है, और न हो ही सकते है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी कर रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधि सम्मत नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि ग्राम भांडियावास के मूल खसरा संख्या 452 व 473 की भूमि रकबा क्रमशः 23.13 बीघा व 31.15 बीघा पूनमाराम के पुत्रों हरिया और चंपालाल को आवंटित हुई थी इसलिए यह स्वयं पूनमाराम की खातेदारी में होकर पुश्तैनी भूमि नहीं है। इस भूमि पर केवल आवंटी खातेदार का ही अधिकार है। अपीलांटगण की भूमि खसरा संख्या 452 का हस्तांरण कालान्तर में हुआ और वर्तमान में इसके खसरा संख्या 1047/452, 1048/452 एवं 1183/452 रकबा क्रमशः 01 बीघा, 01 बिस्वा, 15.11 बीघा कुल रकबा 16.12 बीघा हैं। इस भूमि पर रेस्पोडेंट का कोई स्वत्व साबित नहीं हुआ है इसलिए तब तक अपीलांटगण की उपरोक्त भूमि रकबा 16.12 बीघा पर अपीलाधीन व्यादेश अपास्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व विविध संख्या 153/2014 बअनवान भैरूलाल वगैरह बनाम चम्पा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 को अपास्त किया जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner